न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 18/299

1. हेमराज आत्मज लाला आयु वयस्क जाति मीणा निवासी ग्राम सेदडी ।
2. मोहन लाल आत्मज लाला आयु वयस्क जाति मीणा निवासी ग्राम सेदडी ।
3. शम्भू लाल आत्मज लाला आयु वयस्क जाति मीणा निवासी ग्राम सेदडी ।
4. राममूर्ति पुत्री लाला आयु वयस्क जाति मीणा निवासी ग्राम सेदडी ।
5. खानी बाई बेवा लाला आयु वयस्क जाति मीणा निवासी ग्राम सेदडी ।
6. नरेश आत्मज कालू आयु 37 वर्ष जाति मीणा निवासी ग्राम सेदडी ।
7. श्रीमती नन्द कंवरी बेवा कालू आयु वयस्क जाति मीणा निवासी ग्राम सेदडी तहसील तालेडा जिला बून्दी ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. प्रभूलाल आत्मज रामनारायण आयु वयस्क जाति मीणा निवासी सेदडी ।
2. दीनदयाल आत्मज लटूर आयु वयस्क जाति मीणा निवासी सेदडी ।
3. जगदीश आत्मज लटूर आयु वयस्क जाति मीणा निवासी सेदडी ।
4. दिनेश आत्मज लटूर आयु वयस्क जाति मीणा निवासी सेदडी ।
5. छोटी बेवा लटूर आयु वयस्क जाति मीणा निवासी सेदडी तहसील तालेडा जिला बून्दी ।
6. राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार साहब तालेडा जिला बून्दी ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री कैलाश गुप्ता, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांक: 16.08.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तालेडा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09.03.2018 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी रेस्पोडेन्ट कम 1 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत एक वाद अधिकार घोषणा एवं खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने बाबत् पेश किया जिसके साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम सेदडी तहसील एवं जिला बून्दी में आराजी खसरा नम्बर 209 (पुनाना खसरा नम्बर 21 मिन) रकबा 01 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 591 रकबा 09 बिस्वा कुल 02 किता की रकबा 02 बीघा 01 बिस्वा भूमि स्थित है। उक्त भूमि वर्तमान में अप्रार्थीगण कम 1 से 7 के खातेदारी में तथा मुस0 मोत्या बेवा नन्दा जाति मीणा निवासी ग्राम सेदडी के नाम मूर्तहीन बिल कब्ज दर्ज हो रही है । अप्रार्थी कम 1 से 7 के पूर्व जी श्री श्रवण ने 68–69 वर्ष पूर्व प्रार्थी की दादी मोत्या बाई को रहन बिल कब्ज करके कब्जा संभलाया था और तब से ही प्रार्थी की दादी उक्त भूमि पर काबिज काश्त करने लगी । मोत्या बाई के कोई सुलभी संतान नहीं होने से प्रार्थी के पिता श्री रामनारायण को गोदपुत्र रख लिया था । प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण कम 8 से 11 रामनारायण के वैध वारिसान हैं परन्तु बाहमी बंटवारे में उक्त भूमि प्रार्थी के हिस्से में आने से प्रार्थी का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है । पक्षकारानर अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति होने से पुत्रियों को कोई अधिकार उत्पन्न नहीं होते हैं। प्रार्थी उक्त भूमि पर कब्जा मुखालफाना के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी हो गया है । अप्रार्थीगण कम 1 से 7 को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 63 (4) के अनुसार कब्जा प्रापत करने के समस्त अधिकार समाप्त हो चुके हैं । प्रथमदृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में है तथा सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में है ।

3. अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से ताफैसला वाद पाबन्द फरमाया जावे कि वे प्रार्थी के कब्जे काश्त में दखल नहीं करें ।

4. अप्रार्थीगण कम 1 से 7 ने जवाब प्रार्थना पत्र मय काउन्टर प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए काउन्टर प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 09.03.2018 के द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत् जरिये अस्थायी एवं अप्रार्थी कम 1 लगायत 7 द्वारा प्रस्तुत काउन्टर प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.03.2018 से व्यथित होकर अप्रार्थी कम 1 लगायत 7 अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट वादग्रस्त आराजी के खातेदार हैं । अधीनस्थ न्यायालय को अपीलान्टगण द्वारा प्रस्तुत काउन्टर प्रार्थना पत्र स्वीकार करना चाहिए था । वादग्रस्त आराजी पर रेस्पोडेन्ट प्रभूलाल का का कोई हक नहीं है । रेस्पोडेन्ट प्रभूलाल के पिता के गोद बाबत् कोई दस्तावेजी साक्ष्य भी पेश नहीं की गई है जिससे यह प्रमाणित होता हो कि मोत्या बेवा नन्दा ने रेस्पोडेन्ट प्रभूलाल के पिता को गोद लिया हो । राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 43 के तहत यदि कोई भूमि

रहन भी रखी हो तो 05 वर्ष पश्चात् स्वतः ही भूमि रहन मुक्त मानी जाती है । उक्त प्रावधान के अनुसार रेस्पोडेन्ट अथवा मोत्या बाई का उक्त भूमि पर कोई अधिकार नहीं है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09.03.2018 निरस्त फरमाया जाकर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत काउन्टर प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं आने से अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट क्रम 1 ने अधीनस्थ न्यायालय में अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया था । वादग्रस्त आराजा राजस्व रिकॉर्ड में अप्रार्थी क्रम 1 से 7 के खाते में दर्ज है । इस आराजी पर मोत्या के वारिसान होने के नाते प्रार्थीगण ने अपना कब्जा बताते हुए दावा एवं अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया था जिसमें अपीलान्ट ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया था और यह कथन किया था कि मोत्या बाई प्रार्थी की दादी नहीं है और राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार 70 वर्ष पूर्व आराजी यदि रहन रखी गयी थी तो अब वो रहन मुक्त हो चुकी है । अतः काउन्टर प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना एवं काउन्टर प्रार्थना पत्र दोनों ही खारिज कर दिये जबकि वादग्रस्त आराजी पर अपीलान्ट खातेदार काश्तकार हैं । 05 वर्ष के बाद धारा 43 (4) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आराजी रहन से आराजी मुक्त हो जाती है । रेस्पोडेन्ट का कब्जा प्रमाणित नहीं है । अपीलान्ट वादग्रस्त आराजी पर काबिज हैं । रहन के इन्द्राज का लाभ उठाकर रेस्पोडेन्ट अपीलानट को बेदखल करने पर आमादा है । अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज कर अपीलान्ट का काउन्टर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे । उन्होंने अपने कथनों के समर्थन में आरआरडी 2007 पेज 213 उद्धरत की।

9. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एंव अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर नकल जमाबन्दी संवत् 2066 से 2069 की फोटो प्रति संलग्न है जिसके अनुसार वादग्रस्त आराजी में अपीलान्टगण खातेदार दर्ज हैं और रहन मोत्या बेवा नन्दा दर्ज है । एक रसीद की फोटो प्रति संलग्न है । इसके अलावा कुछ संवत् 2001 से लेकर 2005 तक जमाबन्दियों की फोटो प्रतियॉ भी पेश की गई हैं ।

10. अधीनस्थ न्यायालय में प्रभू लाल ने स्वयं को मोत्या का वारिस बताते हुए वादग्रस्त आराजी के लिए हक घोषणा का दावा पेश करते हुए अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया है और अपीलान्ट जो कि वादग्रस्त आराजी के खातेदार कृषक हैं के द्वारा काउन्टर प्रार्थना पत्र पेश किया है । अधीनस्थ न्यायालय ने दोनों को ही खारिज किया है । वादग्रस्त आराजी अपीलान्टगण खातेदार कृषक दर्ज हैं और मोत्या बेवा नन्दा मु0बि0क0 दर्ज है । प्रार्थीगण का यह कथन है कि वो मोत्या के वारिस हैं और वादग्रस्त आराजी पर उनका कब्जा है और अपीलान्ट का कथन है कि वादग्रस्त आराजी पर उनका कब्जा है और वो इसके खातेदार हैं । अपीलान्ट ने यह भी आपत्ति की है कि मोत्या के वारिस प्रार्थी नहीं हैं और प्रार्थी

नामान्तरकरण संख्या 81 की प्रति पेश की है जिसमें मोत्या के वारिस के रूप में लटूर और प्रभूलाल का नाम दर्ज किया गया है ।

11. यद्यपि पक्षकारान के अधिकार एवं स्वत्व मूल दावे में साक्ष्य के उपरान्त तय होगे इस स्टेज पर नहीं और प्रार्थी मोत्या के वारिस हैं अथवा नहीं यह भी मूल दावे में साक्ष्य के उपरान्त तय होगा इस स्टेज पर नहीं । वादग्रस्त आराजी अपीलान्टगण के खाते में दर्ज है और इसमें मु0बि0क0 मोत्या बेवा नन्दा दर्ज है । राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 43 के अनुसार रहन बिल कब्ज 05 वर्ष वाद स्वतः ही समाप्त हो जाता है । अपीलान्ट वादग्रस्त आराजी के खातेदार हैं और खातेदार के साथ कब्जे की अवधारणा होती है जब तक इसके प्रतिकूल कोई साक्ष्य नहीं आए। प्रार्थीगण ने वादग्रस्त आराजी पर कब्जा मुखालफाना के आधार पर खातेदारी की प्रार्थना की है । कृषि भूमि पर प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदार अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते ।

12. इन तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र विधिक रूप से खारिज किया है जहॉ तक अपीलान्ट अप्रार्थी का प्रश्न है अपीलान्ट अप्रार्थी वादग्रस्त आराजी के खातेदार कृषक हैं । प्रथमदृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति की संभावना अप्रार्थी अपीलान्ट के पक्ष में पायी जाती है । ऐसी स्थिति में हम अप्रार्थी अपीलान्ट के पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करना उचित समझते हैं।

13. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09.03.2018 निरस्त किया जाता है । अप्रार्थी अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत काउन्टर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट को ताफैसला वाद जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादग्रस्त आराजी पर जबरन कब्जा नहीं करें और उक्त भूमि से अप्रार्थीगण अपीलान्ट को बेदखल नहीं करें और उनके कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नहीं करें ।

14. निर्णय आज दिनांक 16.08.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

16/8/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा